UPBR180014972022

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बहेड़ी, बरेली।
उपस्थितिः योगेश कुमार चौधरी (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा) जे.ओ. कोड-UP3653

मुकदमा संख्या-796/2022

उत्तर प्रदेश राज्य ...अभियोगी

बनाम

1. इस्लाम शाह पुत्र रोशन शाह,
2. सद्दाम, ...अभियुक्तगण
3. सलमान,
4. युसुफ पुत्रगण इस्लाम शाह,
समस्त निवासीगण ग्राम पिपरानानकार, थाना देवरनियां, जनपद बरेली।

मुकदमा अपराध संख्या-129/2020
अन्तर्गत धारा-323,324,504 भा०दं०सं०
थाना-देवरनियां, जिला बरेली।

निर्णय

1. अभियुक्तगण इस्लाम शाह, सद्दाम, सलमान एवं युसुफ के विरुद्ध थाना थाना देवरनियां, जनपद बरेली की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-129/2020 में प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा-323,324,504 भा०दं०सं० के आधार पर यह मुकदमा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम इस्लाम शाह आदि इस न्यायालय में संस्थित किया गया है।

अभियोजन कथानक एवं संक्षिप्त विवरण-

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी ग्राम पिपरानानकार थाना देवरनियां, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। दिनांक 26.05.2020 को समय करीब 10:45 बजे मेरी बहन आसमा पत्नी वाहिद नि० उपरोक्त हमारे पड़ोसी अभियुक्तगण इस्लाम शाह पुत्र रोशनलाल, सद्दाम, सलमान एवं युसुफ पुत्रगण इस्लाम शाह नि०गण ग्राम पिपरानानकार थाना देवरनियां जिला बरेली से अपने सिलाई के पैसे लेने गयी थी मेरी बहन द्वारा सिलाई के पैसे मांगे जाने पर उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा मेरी बहन को मारा पीटा गया जब मैं अपनी बहन को बचाने गया तो मुझे भी गाली गलौज कर मारने पीटने लगे जिससे मुझे व मेरी बहन को खुली व गुम चोट आयी है।

3. वादी मुकदमा की जुबानी तहरीर के आधार पर थाना देवरनियां द्वारा अभियुक्तगण इस्लाम शाह, सद्दाम, सलमान एवं युसुफ के विरुद्ध धारा 323,504 भा०दं०सं० में एन०सी०आर० दर्ज की गयी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा तरमीम होकर उपरोक्त धारा 323,324,504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई। प्राथमिकी पंजीकृत होने के पश्चात संबंधित विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही संपादित करते हुए अभियुक्तगण इस्लाम शाह,

सद्दाम, सलमान एवं युसुफ की प्रस्तुत प्रकरण में संलिप्तता पाते हुए आरोप-पत्र अंतर्गत धारा 323,324,504 भा०दं०सं० में प्रेषित किया गया।

4. न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित होने पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के उपरांत अभियुक्तगण को आहूत किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये एवं अपनी जमानत नियमानुसार करवाई। अभियुक्तगण इस्लाम शाह, सद्दाम, सलमान एवं युसुफ को धारा 207 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गई। दिनांक 10.05.2024 को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323,324,504 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

5. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का विवरण इस प्रकार है:-

क- मौखिक साक्ष्य-

साक्षी संख्या	**साक्षी का नाम**	**साक्षी का प्रकार**
पी०डब्लू०-1	जाहिद	शिकायतकर्ता
पी०डब्लू०-2	श्रीमती आसमा	पीड़ित साक्षी

6. **ख- दस्तावेजी साक्ष्य-**

प्रदर्श संख्या	**प्रदर्श का नाम**	**किस साक्षी द्वारा साबित किया गया**
प्रदर्श क-1	तहरीर	पी०डब्लू०-1 (शिकायकर्ता)

7. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप अपने कथानक के समर्थन में साक्षी **पी०डब्लू०-1 शिकायतकर्ता/ जाहिद** एवं **पी०डब्लू०-2 पीड़ित साक्षी/ श्रीमती आसमा** को परीक्षित कराया गया। शेष साक्षियों हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रपत्रों के औपचारिक सत्यता को प्रतिपक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया, ऐसे में औपचारिक साक्षियों की परीक्षा का परित्याग किया गया।

8. अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा साक्षी **पी०डब्लू०-1 शिकायतकर्ता/ जाहिद** द्वारा सम्बन्धित थाने पर दी गयी तहरीर को **प्रदर्श क-1** के रूप में साबित किया गया है।

9. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 31.10.2025 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा रंजिशन चलाने का कथन किया गया है और सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

10. मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

11. प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 26.05.2020 को समय लगभग 10:45 बजे बहद स्थान ग्राम पिपरा नानकार, थाना देवरनियां, बरेली में आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसकी बहन

के साथ मारपीट कारित कर स्वेच्छया उपहति कारित किया, वादी मुकदमा एवं उसकी बहन को मारा पीटा जिससे उनके शरीर में खुली व गुम चोटे आयी एवं वादी मुकदमा एवं उसकी बहन को अपमानित करने के आशय से गंदी गंदी गालियां दी गयी।

12. न्यायालय को यह निर्णय करना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

<u>अभियोजन साक्ष्य-</u>

13. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०-1 शिकायतकर्ता/ जाहिद** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में न्यायालय के सामने सशपथ कथन किया है कि "मुझे गांव में परिवार में लोग जाहिद के नाम से बुलाते हैं लेकिन कागजों में मेरा नाम मो० शाहिद है। मैं पढा लिखा नहीं हूँ। अपना अंगूठा लगाता हूँ। घटना आज से लगभग चार साल पहले की है। मेरी बहन आसमा जो सिलाई का काम करती है। खुद के द्वारा सिले गये कपड़े का पैसा मांगने के लिये इस्लाम शाह, सद्दाम, सलमान और युसुफ जो एक ही परिवार के हैं उनके घर सिलायी का पैसा लेने गयी थी इन लोगों के द्वारा मेरी बहन आसमा के साथ मारपीट और गाली गलौज किया गया उस समय मैं अपने घर पर था, गांव वालों ने जब बताया तब मैं भागते हुए गया, रास्ते में मैं एक जगह गिर गया तो मेरे हल्की चोट आ गयी थी उसके बाद जब मैं इस्लाम के घर जा रहा था, तो रास्ते में ही मेरी बहन आसमा मिल गयी। उसने मुझे उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की बात बतायी थी। फिर मैं थाने जाकर मौखिक सूचना दिया था, एनसीआर की प्रमाणित प्रति जो पत्रावली पर संलग्न है को पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंन उस दिन यही सूचना दी थी लेकिन उस दिन मेरे साथ गाली गलौज व मारपीट नहीं हुयी थी। आसमा ने जैसा बताया था वैसा मैंने बता दिया। ये कहना सही है कि इस्लाम शाह, सद्दाम, युसुफ, सलमान ने मेरे सामने मेरी बहन आसमा के साथ मारपीट, गाली गलौज नहीं किया था। ये कहना सही है कि मेरे साथ अभियुक्तगण ने मारपीट व गाली गलौज नहीं किया था। ये कहना सही है कि हमारा मुल्जिमान से आपस में समझौता हो गया है।"

अभियोजन द्वारा साक्षी से **प्रतिपरीक्षा** की गयी, जिसमें गवाह को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाये जाने पर उसके द्वारा कथन किया गया कि "आसमा ने मुझे जो बताया था वह मैंने बता दिया था मुझे खुद गिरने से चोट आयी थी। ये कहना गलत है कि मुल्जिमो ने दिनांक 26.05.2020 को लाठी डन्डो व धारदार हथियार से मेरे व मेरी बहन के साथ हमला किया हो, जिससे मुझे व मेरी बहन को चोट आ गई हो। यह कहना सही है कि हमारा आपस में समझौता हो गया है। ये कहना गलत है कि समझौता हो जाने के कारण मैं सही बात न बता रहा हूँ।"

14. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०-2 पीड़ित साक्षी/ श्रीमती आसमा** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में न्यायालय के सामने सशपथ कथन किया है कि "मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन अपने हस्ताक्षर कर लेती हूं। लगभग 5 साल पहले की बात है मैं सिलाई का काम करती थी ईद के त्योहार के समय मैं अपने मायके आई थी मैंने अपने पड़ोसी इस्लाम शाह के परिवार के कुछ कपड़े सिले थे जिसका कुछ पैसा बकाया था। कितना पैसा बकाया था आज मुझे याद नहीं है। जब मैं उनके घर पर गई तो इस्लाम शाह, सद्दाम, सलमान और युसुफ ने कहा कि कोई पैसा बकाया नहीं है जो था वह स्वयं तुम्हारे परिवार वाले को दे दिया इसी बात को लेकर कहा सुनी करने लगे शोर शराबा सुनकर गांव के काफी लोग इकट्ठा हो गए मुझे धक्का मारा और मैं

गिर गयी सड़क पर पड़े पत्थर से मुझे चोट आ गई थी। मुझे बहुत भला बुरा भी कहा था पीछे से मेरे भाई जाहिद भी आ गये और मुझे फिर घर लेकर गया उन्होंने मुकदमा लिखाया था। दरोगा ने पूछताछ भी की।"

पी०डब्लू०-2 पीड़ित साक्षी/ श्रीमती आसमा ने बचाव पक्ष द्वारा की गई अपनी **प्रतिपरीक्षा** में यह कथन किया है कि "सिलाई के कितने पैसे बकाया थे वह मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि मैंने दरोगा जी को भी बकाया धनराशि नहीं बतायी थी। कौन-कौन से कपड़े मैंने मुल्जिमान के सिले थे वह मुझे आज याद नहीं है। इस्लाम शाह, सद्दाम, सलमान और युसुफ ने मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज नहीं की थी भीड़ में किसी ने मुजे धक्का दे दिया जिसके कारण गिरने से मुझे चोट आयी थी। इन लोगों ने धक्का नहीं दिया था। धक्का मुझे पीछे से किसी ने दिया था। जिसे मैं देख नहीं पाई थी। हमारा समझौता हो गया है। हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। अब मैं यह मुकदमा चलाना नहीं चाहती हूँ।"

अभियोजन द्वारा साक्षी से **पुनः परीक्षा** की गयी, जिसमें गवाह को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाये जाने पर उसके द्वारा कथन किया गया कि "मुकदमा मैंने नहीं लिखा था। मैंने दरोगा जी को केवल कहासुनी की बात बतायी थी मारपीट और गाली गलौज की बात उन्होंने कैसे लिख ली मैं नहीं बता सकती हूँ। यह कहना गलत है कि दिनांक 26.05.2020 को इस्लाम शाह, सद्दाम, सलमान और युसुफ ने मेरे साथ और मेरे भाई के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज की हो। यह कहना गलत है कि समझौता हो जाने के कारण मैं आज न्यायालय को सही बात नहीं बता रही हूँ।"

15. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा एवं उसकी बहन को गन्दी-गन्दी गालियां देते हुए उनके साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण एवं घोर उपहति कारित किया तथा उनके साथ गाली गलौज किया गया। वादी मुकदमा द्वारा संबंधित थाने पर दी गई सूचना **प्रदर्श-क 1** के रुप में साबित है। इसके साथ ही अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वंय प्रतिपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध में दोषसिद्ध एवं दण्डित किये जाने योग्य है।

16. इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के तर्कों का खण्डन करते हुये निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं-

(अ)- **पी०डब्लू०-1 शिकायतकर्ता/ जाहिद** एवं **पी०डब्लू०-2 पीड़ित साक्षी/ श्रीमती आसमा** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक से पूर्ण रूप से इंकार किया गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण पक्षद्रोही साबित हुए हैं।

(ब)- अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण उनके विरूद्ध आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

न्यायालय का निष्कर्ष -

17. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा परिक्षित साक्षीगण वादी मुकदमा जाहिद एवं श्रीमती आसमा के स्वयं के बयानों में अत्याधिक विरोधाभास है। साक्षीगण जाहिद एवं श्रीमती आसमा द्वारा अपने मुख्य परीक्षा के बयानो में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया किन्तु प्रतिपरीक्षा एवं पुनः परीक्षा में भी अभियोजन

कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, यह अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वादी मुकदमा द्वारा संबंधित थाने पर दी गई सूचना **प्रदर्श-क 1** के रूप में साबित है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित होता है।

इस संबंध में साक्षी **पी०डब्लू०-1 जाहिद** द्वारा अपने प्रतिपरीक्षा में अपने मुख्य परीक्षा के बयानो का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि आसमा ने मुझे जो बताया था वह मैंने बता दिया था मुझे खुद गिरने से चोट आयी थी। ये कहना गलत है कि मुल्जिमो ने दिनांक 26.05.2020 को लाठी डन्डो व धारदार हथियार से मेरे व मेरी बहन के साथ हमला किया हो, जिससे मुझे व मेरी बहन को चोट आ गई हो। यह कहना सही है कि हमारा आपस में समझौता हो गया है। ये कहना गलत है कि समझौता हो जाने के कारण मैं सही बात न बता रहा हूँ। इस प्रकार साक्षी **पी०डब्लू०-2 श्रीमती आसमा** जो इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण/मजरूब साक्षी हैं, उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से कथन किया गया है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन अपने हस्ताक्षर कर लेती हूं। लगभग 5 साल पहले की बात है मैं सिलाई का काम करती थी ईद के त्योहार के समय मैं अपने मायके आई थी मैंने अपने पड़ोसी इस्लाम शाह के परिवार के कुछ कपड़े सिले थे जिसका कुछ पैसा बकाया था। कितना पैसा बकाया था आज मुझे याद नहीं है। जब मैं उनके घर पर गई तो इस्लाम शाह, सद्दाम, सलमान और युसुफ ने कहा कि कोई पैसा बकाया नहीं है जो था वह स्वयं तुम्हारे परिवार वाले को दे दिया इसी बात को लेकर कहा सुनी करने लगे शोर शराबा सुनकर गांव के काफी लोग इकट्ठा हो गए मुझे धक्का मारा और मैं गिर गयी सड़क पर पड़े पत्थर से मुझे चोट आ गई थी। मुझे बहुत भला बुरा भी कहा था पीछे से मेरे भाई जाहिद भी आ गये और मुझे फिर घर लेकर गया उन्होंने मुकदमा लिखाया था। दरोगा ने पूछताछ भी की। बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा का समर्थन नहीं किया गया एवं कथन किया गया कि सिलाई के कितने पैसे बकाया थे वह मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि मैंने दरोगा जी को भी बकाया धनराशि नहीं बतायी थी। कौन-कौन से कपड़े मैंने मुल्जिमान के सिले थे वह मुझे आज याद नहीं है। इस्लाम शाह, सद्दाम, सलमान और युसुफ ने मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज नहीं की थी भीड़ में किसी ने मुजे धक्का दे दिया जिसके कारण गिरने से मुझे चोट आयी थी। इन लोगों ने धक्का नहीं दिया था। धक्का मुझे पीछे से किसी ने दिया था। जिसे मैं देख नहीं पाई थी। हमारा समझौता हो गया है। हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। अब मैं यह मुकदमा चलाना नहीं चाहती हूँ। अभियोजन की ओर से की गयी पुनः परीक्षा में भी इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया।

न्यायालय के मत में प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण जाहिद एवं श्रीमती आसमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में तो अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में अपने ही कथानक का खण्डन किया है। साक्षीगण के बयानों से यह सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा एवं उसकी बहन को गन्दी-गन्दी गालियां देते हुए उनके साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण एवं घोर उपहति कारित किया तथा उनके साथ गाली गलौज किया गया अर्थात अभियोजन द्वारा ऐसा कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है, बल्कि उक्त साक्षीगण का साक्ष्य अभियोजन

कथानक की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार कर ली गई है, किंतु मात्र पुलिस प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार कर लिये जाने से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हो पाते हैं। अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोजन का कर्तव्य है कि वह अपने कथानक को सभी संदेहों से परे साबित करे। यदि किसी प्रकरण में संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो उस संदेह का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जाता है, बल्कि अभियुक्तगण/बचाव पक्ष को दिया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना पूर्णरूपेण संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः संदेह का लाभ अभियोजन पक्ष को न देकर अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एच.पी. एडमिनिस्ट्रेशन बनाम ओम प्रकाश ए.आई.आर. 1972 सुप्रीम कोर्ट 975** में यह अवधारित किया गया है कि-

प्रत्येक संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाएगा।

18. किसी आपराधिक वाद में अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **सुखदेव यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 3678** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-

"*यह अभियोजन का कर्तव्य है कि वह अपना केस निश्चितता के संदेह से परे साबित करे। अभियोजन के केस में आए संदेह का लाभ अभियुक्तगण पाने का हकदार है।* "

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी सम्मानित विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम शीशपाल ए.आई.आर. 2016 कोर्ट पृष्ठ 4958** एवं **खेखराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2018 (1) जे.आई.सी. पेज 207 एस.सी.** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-

"*अपराधिक विधिशास्त्र का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्तगण को दोषसिद्ध ठहराने के लिए सभी तर्क संगतपूर्ण संदेह से परे साबित करना होगा। अपने मामले को सभी तर्कपूर्ण संदेह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और यह भार कभी नहीं बदलता।*"

20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **विजयी सिंह बनाम उ०प्र० राज्य 1990 ए.आई.आर. 1459 SC** में यह अवधारित किया गया है कि-

"अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। यदि अभियोजन कथानक में संदेह रह जाता है और वह युक्ति-युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहता है तो अभियुक्तगण को दोष-मुक्त किया जा सकता है।"

21. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अभियोग को युक्ति-युक्त सन्देह से परे सिद्ध करना चाहिए और निर्दोष व्यक्ति को सजा देने के स्थान पर, दोषी व्यक्ति को दोषमुक्त करने को वरीयता दी जानी चाहिए। माननीय

उच्चतम न्यायालय द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजवीर सिंह एवं अन्य, 2007(6) SC 164** में भी यह विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि-

> *"...the paramaount consideration of the court is to ensure that miscarriage of justice is prevented. A miscarriage of justice, which may arise from acquittal of the guilty is no less than from the conviction of an innocent....."*

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **हरेन्दर सरकार बनाम स्टेट ऑफ आसाम ए०आई०आर० 2008 पेज 2467** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-

> *अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विधिक सबूत इस स्तर का होना चाहिए कि न्यायालय एक विवेकशील मनुष्य की भांति यह उपधारणा कर सके कि अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है। आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्तर्गत किसी अभियुक्तगण के निर्दोष होने की उपधारणा होती है। इस उपधारणा को खण्डित करने का दायित्व अभियोजन पर होता है। इसके लिए अभियोजन को इस स्तर का साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है जिसके आधार पर उसका कथानक युक्ति-युक्त रुप से संदेह से परे साबित हो जाये अर्थात अभियोजन को अपने मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की सत्यता साबित करके अपना कथानक साबित करना होता है। इस अनुक्रम में यदि अभियोजन आंशिक संदेह का भी स्थान छोड़ता है तो इसका लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त होगा।*

अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना एक ऐसी परिस्थिति है जिसको अभियोजन को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करना होता है। चूंकि जब तक घटना का, कारित करने वाले व्यक्ति से सम्बन्ध न स्थापित किया जाये तब तक घटना होने मात्र से अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

23. प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, मौखिक साक्ष्यों एवं प्रलेखीय साक्ष्यों एवं बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के विश्लेषण एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण इस्लाम शाह, सद्दाम, सलमान एवं युसुफ के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 324,323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

अतः अभियुक्तगण **इस्लाम शाह, सद्दाम, सलमान** एवं **युसुफ** को अपराध अन्तर्गत धारा- 323,324,504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से **दोषमुक्त** किये जाने योग्य हैं।

आदेश

1. अभियुक्तगण **इस्लाम शाह, सद्दाम, सलमान** एवं **युसुफ** के विरूद्ध **मुकदमा अपराध संख्या-129/2020** अन्तर्गत धारा- **323,324,504 भारतीय दण्ड संहिता**, थाना देवरनियां, जनपद बरेली के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में **दोषमुक्त** किया जाता है।

2. अभियुक्तगण द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के अनुपालन में दाखिल प्रतिभू एवं बंधपत्र माननीय उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिये छः माह तक प्रवृत्त रहेगा।

3. अभियुक्तगण दौरान विचारण जमानत पर रहा है। अतः उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक-21.07.2026

(योगेश कुमार चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बहेड़ी, बेरली।
J.O.Code-UP3653

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-21.07.2026

(योगेश कुमार चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बहेड़ी, बेरली।
J.O.Code-UP3653

Digitally signed by Yogesh Kumar Chaudharee
Date: 2026.07.25 14:24:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court